[ 2019 ] 13 एस. सी. आर 938

रावी सीटिया

वी.

मदन लाल और अन्य

( सिविल अपील सं. 2837 2011 का)

अक्टूबर 04,2019

[ नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: एस. 16 ( 1 ) ( ग) अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद-वादी की तैयारी और इच्छा

अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए-प्रतिवादी 1 से 3 वादी को विचाराधीन भूमि बेचने के लिए सहमत हुए-बिक्री विलेख 30.04.1990 पर निष्पादित किया जाना था-वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी नं। 1 और 2 30.04.1990 पर निष्पादन के लिए पंजीयक के समक्ष उपस्थित नहीं हुए -

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय वादी की ओर से तैयारी और इच्छा के निष्कर्ष पर केवल उप-पंजीयक से उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर पहुंचे, जो निष्पादन के लिए 30.04.1990 पर उसके सामने उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है-आयोजितः उक्त प्रमाणपत्र के अलावा, वादी द्वारा तैयारी और इच्छा प्रदर्शित करने के लिए कोई और सबूत नहीं दिया गया था, जिसमें शेष राशि के निर्वहन की निरंतर क्षमता भी शामिल थी -

परिस्थितियों में उप-पंजीयक के कार्यालय से प्रमाण पत्र को गैर-वाद प्रतिवादी 1 और 2 के लिए निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है-इसलिए उस प्रभाव के निष्कर्षों को अस्थिर माना जाता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: धारा 16 (1) (सी)-अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद-वादी की तैयारी और इच्छा

अनुबंध के अपने हिस्से का निष्पादन करने के लिए-ट्रायल कोर्ट ने 01.06.1994 पर वाद का आदेश दिया और वादी को दो महीने के भीतर शेष राशि जमा करने के लिए समय दिया-वादी ने निर्देश का पालन करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया-जमा करने के लिए दिए गए समय की समाप्ति के बाद, वादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि प्रतिवादियों द्वारा पसंद की गई पहली अपील के लंबित होने को देखते हुए, जमा करने का समय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अन्यथा राशि बिना ब्याज के बैंक में होगी जमा करने का समय पहली अपील के निपटान तक बढ़ाया गया था-आयोजितः वादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता कि समय के भीतर शेष राशि क्यों जमा नहीं की गई

938 रावी सीटिया बनाम। मदन लाल और अन्य

मान लीजिए कि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने के साथ-साथ विस्तार के लिए आवेदन में लिए गए आधारों की तुच्छता कि पैसा ब्याज अर्जित किए बिना बैंक में होगा, वादी की ओर से समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थता का प्रमाण था और यह तैयारी और इच्छा की कमी को दर्शाता है। एस के तहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत का अनुदान। 16 ( 1 ) ( ग) अधिनियम की एक विवेकाधीन और न्यायसंगत राहत है-यह दलील कि राशि बिना ब्याज के बैंक में होगी, निराधार और इसके विपरीत है

सामान्य बैंकिंग अभ्यास-यह वादी की अक्षमता या तैयारी की कमी और अपने दायित्वों को पूरा करने की इच्छा का पर्याप्त प्रमाण है निस्संदेह, जमा करने का समय एस के तहत बढ़ाया जा सकता है। 28 अधिनियम के अनुसार-लेकिन जमा के लिए समय का केवल विस्तार वादी को इस तरह के विस्तार की मांग करने के लिए अपने नियंत्रण से परे विशेष परिस्थितियों के साथ तैयारी और इच्छा प्रदर्शित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता है-प्रतिवादी द्वारा अपील की लंबितता वादी को अपनी तैयारी और इच्छा के प्रमाण में राशि जमा करने से नहीं रोकती है-उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि अपील के दौरान जमा न करने को उचित ठहराने के लिए अपील के तहत डिक्री के अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं थी-उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमजोरी नहीं थी, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि तथ्यों और परिस्थितियों में वादी अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. प्रतिवादी सं। 1 और 2 दिनांकित 28.05.1990 और 12.06.1990 पंजीकृत नोटिसों द्वारा वादी को प्राप्त करने की आवश्यकता थी

25.06.1990 द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख। वादी विवाद नहीं करता है

कि संचार को ठीक से संबोधित किया गया था और पंजीकृत पावती के माध्यम से भेजा गया था। अगर उसे वापस कर दिया जाता है

यह समर्थन कि वादी अपने घर पर उपलब्ध नहीं था, प्रतिवादी 1 और 2 को आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वादी की राय थी कि समर्थन गलत था, तो यह उसके लिए था कि उसने ऐसा तर्क दिया और इस संबंध में आवश्यक साक्ष्य का नेतृत्व किया। ट्रायल कोर्ट ने सही ही विश्वास नहीं किया

प्रतिवादी 1 और 2, लेकिन उस संबंध में कोई निष्कर्ष वापस किए बिना

[2019] 13 एस. सी. आर. के वादी के अप्रमाणित दावे पर भरोसा करना पसंद किया।

उक्त निष्कर्ष को भी अस्थिर माना जाता है। [ पैरा 6] [943-एच; 944-ए-सी] 2. ट्रायल कोर्ट ने 01.06.1994 पर मुकदमे का फैसला सुनाया और वादी को शेष राशि जमा करने के लिए समय दिया

01.06.1994 से दो महीने के भीतर विचार, अर्थात 31.07.1994 . वादी ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

निर्देश का पालन करने में विफलता। जमा के लिए दिए गए समय की समाप्ति के बाद, वादी ने निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि प्रतिवादियों द्वारा पसंद की गई पहली अपील के लंबित होने को देखते हुए, जमा करने का समय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अन्यथा राशि बिना ब्याज के बैंक में होगी। 02.08.1994 पर ही, जमा करने का समय पहली अपील के निपटारे तक बढ़ा दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा एकतरफा आदेश को चुनौती तकनीकी आधार पर असफल रही। [ पैरा

8 ] [ 944 - एफ-जी]

3. अधिनियम की धारा 16 (1) (सी) के तहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत देना एक विवेकाधीन और न्यायसंगत राहत है। धारा 16 (1) (सी) के तहत, वादी को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयारी और इच्छा का प्रदर्शन करना होता है।

अनुबंध। यह दलील कि राशि बिना ब्याज के बैंक में होगी, निराधार है और सामान्य बैंकिंग प्रथा के विपरीत है।

यह वादी की अक्षमता या तैयारी की कमी और अपने दायित्वों को पूरा करने की इच्छा का पर्याप्त प्रमाण है। निस्संदेह, जमा करने का समय इसके तहत बढ़ाया जा सकता है अधिनियम की धारा 28। लेकिन जमा के लिए समय का केवल विस्तार वादी को विशेष परिस्थितियों के साथ तैयारी और इच्छा प्रदर्शित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

इस तरह के विस्तार की मांग करना उसके नियंत्रण से परे है। वादी ने आवेदन में यह नहीं कहा कि वह अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था और उसे ऐसा करने से किसी भी विशेष परिस्थिति से रोका गया था। प्रतिवादी द्वारा अपील की लंबितता वादी को अपनी तैयारी और इच्छा के प्रमाण में राशि जमा करने से नहीं रोकती थी। [ पैरा 10] [945-सी-एफ]

4. सामान्य मानवीय विवेक के अनुसार, भूमि की कीमत

समय के साथ बढ़ता जाता है। जब तक यह संकटग्रस्त बिक्री की स्थिति नहीं होगी, तब तक कोई भी भूमि मालिक अपनी भूमि को उससे कम कीमत पर नहीं बेचेगा जो हो सकती है।

बिक्री के लिए एक समझौते में दर्ज किया गया। तथ्य यह है कि रावी सीटिया बनाम।

प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने बाद में प्रतिवादियों को 16.01.1991 पर जमीन बेच दी। 4 कम कीमत पर 7 तक, व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण, वादी की याचिका के खिलाफ भी कम करता है कि वह अनुबंध के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। [ पैरा 14] [947-बी-सी]

5. वादी तैयारी और इच्छा साबित करने में विफल रहा

बिक्री के लिए समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी बकाया राशि को बनाए रखने का हकदार नहीं है और इसे एक महीने की अवधि के भीतर बिना ब्याज के अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लेगा। [ पैरा 16] [947-एच; 948-ए-बी]

वी. एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम। सी. अलगप्पन, (1999) 4 एस. सी. सी. 702 [1999] 1 एस. सी. आर. 349; रमनकुट्टी गुप्तन बनाम।

अवारा (1994) 2 एस. सी. सी. 642: [ 1994 ] 1 एससीआर 542; उमाबाई

और एक अन्य वी। नीलकंठ ढोंडीबा चव्हाण (मृत)

एल. आर. और दूसरा, (2005) 6 एस. सी. सी. 243: [ 2005 ] 3 एससीआर

521 ; दिलबागराई पंजाबी बनाम। शरद चंद्र, 1988 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 710 [1988] पूरक। एस. सी. आर. 276-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

[ 1999 ] 1 एससीआर 349

पै

रा 11

[ 1994 ] 1 एससीआर 542

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[ 2005 ] 3 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[ 1988 ] पूरक। एससीआर 276

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2837

2011 से।

उच्च न्यायालय के 13.01.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1999 की सिविल नियमित दूसरी अपील सं. 2443 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

अमित आनंद तिवारी, सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री हर्षल गुप्ता, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के लिए।

रंजीत थॉमस, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री शशि जुनेजा, वी. एन. रघुपति,

मोहित सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

9 ] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा, जे।

1. वादी प्रतिवादियों की दूसरी अपील की अनुमति देने वाले आदेश की शुद्धता का दावा करता है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया

विशिष्ट निष्पादन के लिए वादी के मुकदमे की डिक्री देने वाले न्यायालयों के समवर्ती आदेशों को दरकिनार कर दें।

2. वादी ने प्रतिवादी 1 और 2 के स्वामित्व वाली दो तिहाई भूमि के संबंध में दिनांक 10.11.1989 के बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

रु. 50,000 / - बकाया राशि के रूप में भुगतान किया गया था और रुपये 3,10,490/- का शेष भुगतान निष्पादन के समय किया जाना था। 30.04.1990 पर या उससे पहले बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए समझौता प्रदान किया गया। निचली अदालत ने यह मानते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि वादी उपस्थित रहा था

30.04.1990 पर बिक्री दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में, लेकिन प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 निष्पादन के लिए उपस्थित नहीं हुए। कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने प्रतिवादी संख्या को जमीन बेच दी। 4 दिनांकित तीन अलग-अलग बिक्री विलेखों द्वारा 7 तक

16.01.1991 . प्रतिवादियों की पहली अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या। 4 7 वास्तविक खरीदार नहीं थे। अतः वर्तमान में

अपील करें।

3. श्री अमित आनंद तिवारी, अपीलार्थी के विद्वान वकील

वादी ने प्रस्तुत किया कि दूसरी अपील में उच्च न्यायालय को इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था कि वादी समझौते के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। प्रतिवादी सं। 1 और 2 30.04.1990 पर निष्पादन के लिए उप-पंजीयक के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे थे। वादी को कभी भी प्रतिवादी संख्या से कथित नोटिस नहीं मिले। 1 और 2 दिनांकित 28.05.1990 और 12.06.1990 में वादी को 25.06.1990 पर बिक्री विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवादी 4 से 7 को बाद में की गई बिक्री को वास्तविक नहीं, बल्कि एक नकली लेनदेन माना गया है। वादी को निचली अदालत द्वारा शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि पहली अपील का निपटारा नहीं हो जाता। प्रथम अपील में निर्णय के बाद शेष राशि जमा की गई थी। वैकल्पिक रूप से, एक निवेदन किया गया था कि यदि अपील की अनुमति नहीं दी जानी है, तो प्रतिवादी 1 और 2 को वादी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसमें वाद में दावा किए गए बयाना धन और हर्जाने शामिल हैं।

4. प्रतिवादियों-प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रंजीत थॉमस ने कहा कि वादी समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की तैयारी और इच्छा साबित करने में विफल रहा है।

प्रतिवादियों को 30.04.1990 पर उप-पंजीयक के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस पर नहीं रखा गया था। 28.05.1990 और 12.06.1990 दिनांकित नोटिस

5. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अपील के तहत आदेशों के माध्यम से भी लिया गया है। प्रतिवादी सं। 1 फिरोजपुर जिले की अबोहर तहसील के गुमजल गांव में 3 के पास 61 करनाल 17 मरला जमीन थी। प्रतिवादी नं. 3 हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया दिनांक 10.11.1989 की बिक्री के लिए समझौते में, वादी ने प्रतिवादी 1 और 2 के दो तिहाई हिस्से के संबंध में समझौते को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया। बिक्री विलेख को 30.04.1990 पर या उससे पहले निष्पादित किया जाना था। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय वादी की ओर से तैयारी और इच्छा के निष्कर्ष पर केवल उप-पंजीयक से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर पहुंचे, जो निष्पादन के लिए 30.04.1990 पर उसके सामने उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसके अलावा, वादी द्वारा तैयारी और इच्छा प्रदर्शित करने के लिए कोई और सबूत नहीं दिया गया था, जिसमें शेष विचार के निर्वहन के लिए निरंतर क्षमता शामिल थी। वादी ने उप-पंजीयक के समक्ष अपने आवेदन में कहा कि उसने प्रतिवादी 1 और 2 को 25.06.1990 पर पंजीकरण के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता थी। वादी द्वारा इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है। हमारी यह सुविचारित राय है कि इन परिस्थितियों में उप-पंजीयक के कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र को गैर-वाद के निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी 1 और 2। इसलिए उस प्रभाव के निष्कर्षों को अस्थिर माना जाता है।

6. प्रतिवादी सं। 1 और 2 दिनांकित 28.05.1990 और 12.06.1990 पंजीकृत नोटिसों द्वारा वादी को [2019] 13 एस. सी. आर. द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता थी।

25.06.1990 . वादी इस बात पर विवाद नहीं करता है कि संचार को ठीक से संबोधित किया गया था और पंजीकृत पावती के माध्यम से भेजा गया था। यदि इसे इस समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था कि वादी नहीं था

उसके घर पर उपलब्ध, प्रतिवादी 1 और 2 को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी आगे। यदि वादी की राय थी कि समर्थन गलत था, तो यह उसके लिए था कि उसने ऐसा तर्क दिया और इस संबंध में आवश्यक साक्ष्य का नेतृत्व किया। विचारण न्यायालय ने उचित रूप से प्रतिवादी 1 और 2 पर अविश्वास नहीं किया, लेकिन उस संबंध में कोई निष्कर्ष वापस किए बिना वादी के समक्ष उपस्थित होने के अप्रमाणित दावे पर भरोसा करना पसंद किया।

उप-30.04.1990 पर पंजीयक। उक्त निष्कर्ष को भी अस्थिर माना जाता है। 7. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 16 के तहत, कुछ आधार हैं जो अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत को रोकते हैं। यह धारा, जहाँ तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 16. राहत के लिए व्यक्तिगत बार। — किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को किसी व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता है।

( ए)-(बी)

*

*

( ग) जो यह साबित करने में विफल रहता है कि उसने प्रदर्शन किया है या हमेशा तैयार रहा है और आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। उस अनुबंध का जो उसके द्वारा निष्पादित किया जाना है, उन शर्तों के अलावा जिनके प्रदर्शन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ कर दिया गया है।

8. ट्रायल कोर्ट ने 01.06.1994 पर मुकदमे का फैसला सुनाया और वादी को 01.06.1994 से दो महीने के भीतर, यानी 31.07.1994 द्वारा शेष राशि जमा करने के लिए समय दिया। वादी ने निर्देश का पालन करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद

जमा के लिए दिए गए समय की समाप्ति पर, वादी ने निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि प्रतिवादियों द्वारा पसंद की गई पहली अपील के लंबित होने को देखते हुए, जमा करने का समय हो सकता है

अन्यथा राशि बिना ब्याज के बैंक में होगी। 02.08.1994 पर ही, जमा करने का समय पहली अपील के निपटारे तक बढ़ा दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा एकतरफा आदेश को चुनौती तकनीकी आधार पर असफल रही।

9. तैयारी और इच्छा के संबंध में कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। इसका अर्थ तथ्यों और परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए-रावी सीटिया बनाम।

मदन लाल और अन्य [नवीन सिन्हा, जे।]

आवेदन कि वह अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था और उसे ऐसा करने से किसी भी विशेष परिस्थिति से रोका गया था। प्रतिवादी द्वारा अपील की लंबितता वादी को अपनी तैयारी और इच्छा के प्रमाण में राशि जमा करने से नहीं रोकती थी। तैयारी की व्याख्या भुगतान के संबंध में दायित्वों के निर्वहन की क्षमता के रूप में की गई है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अपील के लंबित रहने के दौरान जमा न करने को उचित ठहराने के लिए अपील के तहत डिक्री पर अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी। समय के विस्तार के अनुदान को वास्तव में अन्यथा प्रदर्शन के रूप में नहीं माना जा सकता है। वादी की ओर से तैयारी और इच्छा। वादी को जमा के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए पर्याप्त, पर्याप्त और ठोस आधारों का अनुरोध करने की आवश्यकता थी क्योंकि अन्यथा यह मामले के तथ्यों में अन्य सभी परिचर आसपास की परिस्थितियों के साथ उसके आचरण का सवाल बन जाता है। इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं जो यह निष्कर्ष निकालता है कि वादी तथ्यों और परिस्थितियों में अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. वी. एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम। सी. अलगप्पन,

9 ) 4 एस. सी. सी. 702, यह निम्नानुसार देखा गयाः

" 17. बिक्री का समझौता लगभग 19 साल पहले 16-2-1980 पर किया गया था। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर बकाया राशि क्यों जमा नहीं की जा सकी। केवल इसलिए कि एक मुकदमा सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाता है, विक्रेता-वादी को यह दिखाने से मुक्त नहीं करता है कि क्या वह समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था और क्या गैर-निष्पादन था, क्या वह विक्रेता द्वारा रखी गई किसी बाधा के कारण था या अन्यथा। किसी समझौते के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी देने के प्रावधान काफी कठोर होते हैं। समान विचार व्यवहार में आते हैं। अदालत को सभी परिचर परिस्थितियों को देखना होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या विक्रेता ने खुद को उचित तरीके से संचालित किया है।

बिक्री के अनुबंध के तहत। प्रत्यर्थी डिक्री-धारकों का मामला यह नहीं है कि विक्रेता निर्णय-देनदार की ओर से किसी भी गलती के कारण, राशि डिक्री के अनुसार जमा नहीं की जा सकी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी डिक्री-धारकों से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि उन्होंने बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं किया। इक्विटी की मांग है कि प्रत्यर्थी डिक्री-धारकों के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाए और उन्हें समय का विस्तार नहीं दिया जाए। उन्हें आदेश का पालन करने के लिए "।

12. हमारी राय में, यदि वादी ने समय के बाद राशि जमा की होती, लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि अंकुट्टी गुप्तन बनाम आवारा, (1994) 2 एस. सी. सी. 642 में माना गया है, पूरी तरह से अलग उपहास उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्णय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होता है।

13. उमाबाई और एक अन्य बनाम नीलकंठ ढोंडीबा चव्हाण में

घ) एल. आर. एस. द्वारा और एक अन्य, (2005) 6 एस. सी. सी. 243, यह देखा गया है

कमियाँः

" 30. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि पक्षकारों का आचरण, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या वादी-प्रतिवादी पूरे समय थे और अभी भी तैयार हैं और अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जैसा कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी) के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक है, पूरे उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। अभियोग या रावी सेटिया v में एक नंगे कथन।

जाँच में दिया गया बयान पर्याप्त नहीं होगा। वादी-प्रतिवादियों के आचरण का निर्णय अभिवचनों की संपूर्णता के साथ-साथ लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

अभिलेखों में।

14. सामान्य मानवीय विवेक के अनुसार, समय के साथ भूमि की कीमत बढ़ती जाती है। जब तक यह संकटग्रस्त बिक्री की स्थिति नहीं है, तब तक कोई भी भूमि मालिक अपनी भूमि को बिक्री के लिए समझौते में दर्ज की गई कीमत से कम कीमत पर नहीं बेचेगा। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने बाद में प्रतिवादियों को 16.01.1991 पर जमीन बेच दी। 4 कम कीमत पर 7 तक, व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण, वादी की याचिका के खिलाफ भी कम करता है कि वह अनुबंध के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था।

15. कानून के सुव्यवस्थित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय को प्रवेश नहीं करना चाहिए।

नए निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन, शुद्ध को छोड़कर कानून के प्रश्न। लेकिन अगर निष्कर्ष विकृत हैं, जो पूरी तरह से गलत मूल्यांकन या साक्ष्य के गलत विचार और विफलता पर आधारित हैं।

प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने के लिए, यह कानून का सवाल बन जाता है। दिलबागराई पंजाबी बनाम शरद चंद्र, 1988 सप एस. सी. सी. 710 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

" 5 ..... उच्च न्यायालय ने यह इंगित करने में सही था कि निचली अदालतों ने उपरोक्त दस्तावेजों सहित रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य पर विचार नहीं करने में गंभीर गलती की थी। यह सच है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपील की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के पास इसका पुनर्मूल्यांकन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

साक्ष्य और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष को उलटना, लेकिन साथ ही निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की इसकी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है यदि जब निचली अपीलीय अदालत तथ्य के किसी मुद्दे का फैसला करती है तो कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर संपूर्ण प्रासंगिक साक्ष्य की जांच करे और यदि वह विवादित मुद्दे पर सीधे संबंध रखने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने से इनकार करता है और जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह इस परिमाण की है कि यह कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती है, तो उच्च न्यायालय निष्कर्ष को दरकिनार करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है।

16. चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयारी और इच्छा साबित करने में विफल रहा

बिक्री के लिए समझौते के तहत। हमारा मानना है कि 948

वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है। तथापि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी बकाया राशि को बनाए रखने का हकदार नहीं है और इसे एक महीने की अवधि के भीतर बिना ब्याज के अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह 7 प्रतिशत की दर से ब्याज वहन करेगा।

17. याचिका खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

देविका गुजराल